राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील /टी.ए./380/2003/पाली

श्री मानसिंह (मृतक) जरिये वारिसानः–

1. श्रीमति रसाल कॅवर पत्नि स्व. श्री मानसिंह
2. श्री देवीसिंह पुत्र स्व. श्री मानसिंह
3. श्री कुलदीप सिंह पुत्र स्व. श्री मानसिंह
   समस्त जातियान राजपूत, निवासीगण बीठू तहसील रोहट, जिला पाली।
4. श्रीमति राजकॅवर पत्नि श्री भगवतसिंह व पुत्री स्व. मानसिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम पोस्ट भैरोगढ़, वाया तहसील रेवदार जिला सिरोही।
5. श्रीमति वीणा कॅवर पत्नि श्री अजयसिंह व पुत्री स्व. मानसिंह जाति राजपूत, निवासी मार्फत श्री शिवराज सिंह हाड़ा एडवोकेट, पॅकज होटल के पास, सिविल लाईन्स, नयापुरा, कोटा।

....**अपीलांट्स**

बनाम

1. श्रीमति सूरज कॅवर पत्नि श्री कर्नल किशोरसिंह जाति राजपूत, उम्र 53 वर्ष, निवासी कड़वड़, तहसील एवं जिला जोधपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

2. राजस्थान सरकार
3. जनरल मैनेजर पाली सेन्ट्रल कॉ–ओपरेटिव बैंक, कॉलेज रोड़, पाली।
4. शाखा प्रबन्धक, पाली सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक शाखा रोहट जिला पाली।

.....**तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स**

खण्ड पीठ

श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थितः–

श्री वीरेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता अपीलांट्स
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय **दिनांक : 8.07.2019**

1. यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 25–11–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड, कब्जा दिलवाने एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88, 91 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पाली के समक्ष अपील ज्ञापन में अंकित विवादित आराजी बाबत् प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर आवश्यक तनकीयात कायम करते हुये अपने निर्णय दिनांक 22–1–2002 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के समक्ष प्रस्तुत की जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25–11–2002 द्वारा स्वीकार करते हुये परीक्षण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2002 द्वारा निरस्त कर दिया एवं प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि विवादित भूमि मानसिंह की थी जिसके विरूद्ध सीलिंग का प्रकरण पूर्व में चला था। मानसिंह ने उक्त भूमि सरेण्डर कर दी और राज्य सरकार ने उक्त भूमि आवंटित कर दी। वादिनी ने दिनांक 13.04.1972 को उक्त भूमि क्रय की थी इस आधार पर उसे खातेदार घोषित किया जाये। परीक्षण न्यायालय ने वाद में चार तनकीयां बनाई गयी थी जिसमें तनकी संख्या 3 एवं 4 विधि से सम्बन्धित थे। परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 व 4 जो कानूनी थे को निर्णीत करते हुए वाद को खारिज किया है। कानूनी तनकीयों के निर्णय में आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के प्रावधान व्यवधान पैदा नहीं करते है। विवादित भूमि पर वादिनी/रेस्पो0 संख्या 1 का वर्ष 1972 से आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा। ऐसी स्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत 12 वर्ष से अधिक की अवधि समाप्त हो जाने से वादी/रेस्पो0 1 का दावा को अवधि में नहीं होने से पेश करने योग्य नहीं था। परीक्षण न्यायालय ने तनकी वार कानूनी विवाद्यकों पर अपना निष्कर्ष अंकित कर वाद को विधिवत निस्तारित किया है, इसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है किन्तु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को

नजरअदांज करते हुये अपने संक्षिप्त निर्णय द्वारा बिना तनकीयात का परीक्षण कर परीक्षण न्यायालय का निर्णय नियमों से परे जाकर निरस्त कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बहस में कहा कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन वाद को केवल कानूनी तनकीयात के आधार पर खारिज कर दिया जो विधि के विपरीत है। आदेश 20 नियम 5 सीपीसी के अनुसार तनकी विनिश्चयन के पश्चात् वाद को निर्णित करना चाहिये था, जब कि परीक्षण न्यायालय ने बिना किसी आधार के जो निर्णय दिया वह उचित नहीं है। तनकी संख्या 3 तनकी संख्या 1 का ही दूसरा रूप है जिसे अपीलांट को सिद्ध करना था। यह तनकी साक्ष्य के आधार पर ही निर्णीत हो सकती थी। वादिनी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा इस संबंध में बेचाननामा प्रस्तुत किया गया है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर था। ऐसी स्थिति में न्यायालय को मौखिक साक्ष्य लेकर निर्णय करना चाहिये था। तनकी संख्या 4 प्रत्यर्थी/अपीलांट को साबित कराना था। वादी/रेस्पो0 संख्या 1 यह साबित नहीं कर सकी कि वादिनी/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद मियाद बाहर है। घोषणा के वाद में मियाद का प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी/अपीलांट की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं विधि के सुसंगत प्रावधानों का पठन किया गया।

7. प्रकरण में तथ्य है कि खसरा नम्बर 276/3 रकबा 124 बीघा 5 बिस्वा मानसिंह की खातेदारी की भूमि थी जिसे उसने दिनांक 13.04.1972 को जरिये पंजीकृत विक्रयनामा द्वारा वादिनी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 को विक्रय कर दिया गया। मानसिंह के विरूद्ध सीलिंग का प्रकरण चला इसलिये उसके बचने के लिये उसने यह बेचान नामा किया जिसे प्राधिकृत अधिकारी ने वैध नहीं माना। वादिनी ने वाद में अंकित किया कि खसरा नम्बर 276/3 की जगह विक्रयनामा

में खसरा नम्बर 276/2 अंकित हो गया जो केवल 6 बीघा 8 बिस्वा की थी। इस प्रकार वादिनी ने आराजी खसरा नं. 276/1 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, भूमि में से 4 बीघा 19 बिस्वा, 276/2 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा व 276/3 रकबा 112 बीघा 18 बिस्वा कुल भूमि 124 बीघा 5 बिस्वा की खातेदार घोषित करवाने के लिये वाद प्रस्तुत किया था। अपीलान्ट्स के पति व पिता मानसिंह ने जवाबदावे में उक्त तथ्यों का खंडन किया। पैरोकार सरकार ने भी अपना जवाब पेश किया जिसमें कथन किया कि वादिनी ने जो बेचानामा का उल्लेख किया है उसमें अंकित खसरा नम्बर का मिलान राजस्व रिकार्ड में अंकित खसरा नम्बर से नहीं हो रहा है। इसलिए बेचाननामा वैध नहीं है तथा वादिनी का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा। मानसिंह के विरूद्ध सीलिंग प्रकरण संख्या 11/75 उपखंड अधिकारी, पाली के न्यायालय में चला जिसमें मानसिंह की 111 बीघा 6 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत थी जिसका नामान्तकरण संख्या 294 भरा जाकर खसरा नं. 276/3 रकबा 111 बीघा 6 बिस्वा भूमि सिवाय चक दर्ज हो गई। उक्त भूमि उपखंड अधिकारी, पाली द्वारा दीगर व्यक्तियों को दिनांक 19.08.1980 द्वारा आवंटित कर दी। मानसिंह के पास 126 बीघा भूमि बची जो उसके रिकार्ड में दर्ज है। वादिनी ने बेचाननामे में खसरा नं. 276/3 बताया था जबकि बेचाननामा से वास्तव में 276/2 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा ही दर्ज है। इस प्रकार उसके कथन व बेचाननामा में सारभूत अंतर है तथा उसका कब्जा काश्त भी नहीं है।

8. वाद में प्रस्तुत जवाबदावों के आधार पर तनकीयात कायम हुयी। तनकी संख्या 3, 4 व 5 पर परीक्षण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। तनकी संख्या 3, 4 व 5 निम्न प्रकार हैं:—

तनकी संख्या 3. आया वाद के पद संख्या एक में वर्णित भूमि सिलिंग कानून के तहत अवाप्त कर ली जाने से वाद चलने योग्य नहीं है?

.....प्रतिवादी संख्या 1

तनकी संख्या 4. आया वाद मियाद बाहर है अतः स्पष्टतया खारिज करने योग्य है? .....प्रतिवादी संख्या 1

तनकी संख्या 5. आया वाद के बेचाननामे दिनांक 13.04.1972 तथा वाद के खसरा नम्बर, रकबा आदि का राजस्व रिकार्ड से मिलान नहीं होता अतः दावा काबिल खारिज है? .....प्रतिवादी संख्या 2

9. परीक्षण न्यायालय ने उक्त तीनों तनकियों को विधिक माना हैं। तनकी नं. 3 के तहत यह देखना था कि उक्त भूमि सीलिंग में आ गयी थी या नहीं ? उक्त बिन्दु विधिक न होकर तथ्यों से संबंधित है। इसके लिए दस्तावेजों व साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा। विचारण न्यायालय ने उक्त बिन्दु को विधिक मानने में भूल की है। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय में कहा है कि सीपीसी के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के विरूद्ध निर्णय पारित किया है जो कि अपास्त योग्य है।

10. तनकी संख्या 4 मियाद के बिन्दु पर है। यद्यपि घोषणा के वाद में मियाद की कोई सीमा नहीं है। वादिनी बेचान नामे के आधार पर घोषणा का दावा लेकर आयी है। घोषणा के वाद में केवल मियाद के बिन्दु के आधार पर सम्पूर्ण दावे को खारिज करना सही प्रतीत नहीं होता है।

11. तनकी संख्या 5 के अनुसार वादिनी ने वाद में खसरा नं. 276/3 रकबा क्रय करना बताया है जबकि बेचान नामा में खसरा नं. 276/2 रकबा 6 बीघा 8 बिस्वा ही है। बेचाननामा में अंकित खसरा नम्बर का मिलान वाद से नहीं हो रहा है और इस कारण ही वाद खारिज कर दिया। वास्तक में यह विधिक बिन्दू न होकर तथ्यात्मक हैं जो कि साक्ष्यों के द्वारा साबित करना होगा।

12. उक्त परिप्रेक्ष्य में परीक्षण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सही नहीं था एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय दिनांक 25.11.2002 में उक्त समस्त बिन्दुओं का विस्तृत विवेचन किया है और स्पष्ट निर्णय दिया है। अपीलान्ट ने अपील में निम्न बिन्दु उठाये हैंः–

(1) राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय विधि के स्थापित सिद्धान्त, दस्तावेज तथा राजस्व रिकार्ड के विरूद्ध था।

(2) परीक्षण न्यायालय ने कुल 6 तनकी बनाई जिनमें तनकी संख्या 3, 4 व 5 को विधिक तनकी मानकर, सही तरीके से वाद खारिज कर दिया जबकि राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने उक्त परीक्षण न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने में त्रुटि की है।

13. उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचना पूर्व में ही की जा चुकी है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने भी अपने निर्णय दिनांक 25.11.2002 में

विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने समस्त रिकार्ड का अवलोकन कर विधि के सुसंगत प्रावधानों की रोशनी में अध्ययन करने के पश्चात ही विचाराधीन निर्णय सुनाया है। अतः अपीलान्टस की आपत्तियाँ सारभूत प्रतीत नहीं होती हैं। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने जो निर्णय सुनाया है उसे हम विधिसम्मत पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली का निर्णय दिनांक 25.11.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिशंकर गोयल)
सदस्य

(शिखर अग्रवाल)
सदस्य